कार्यालय–प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)

परिपत्र

क्र.196 / चार–1–2 / 2011 जबलपुर, दिनांक–04/11/2023

जिला न्यायालय परिसर जबलपुर में न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण के वाहनों के लिए पृथक–पृथक वाहन पार्किंग स्थल नियत किए गए है, जिनमें कार्यालयीन समय में वाहन खडे करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वाहन पार्किंग स्थल पर रात्रि के समय कोई भी वाहन खडे करने की अनुमति नहीं है। केवल रात्रि कालीन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी रात्रि के समय अपने वाहन जिला न्यायालय परिसर के अंदर ला सकते है।

यदि किसी वाहन के खराब हो जाने या अन्य अपरिहार्य स्थिति में किसी वाहन को रात्रि के समय वाहन पार्किंग स्थल में छोडा जाना आवश्यक हो तो उक्त वाहन की नंबर प्लेट की फोटो सहित सूचना जिला नाजिर को व्हॉटएप पर दी जाए।

मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वाहन पर नंबर प्लेट लगी होना अनिवार्य है। जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की नंबर प्लेट का अभिलेख आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के जरिए सुरक्षित रखा जाता है। बिना नंबर प्लेट के किसी भी वाहन का जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश निषेधित किया जाता है।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठां.क. 4862 / चार–1–2 / 2011 जबलपुर, दिनांक–04 / 11 / 2023

प्रतिलिपिः–

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02. अध्यक्ष भवन निर्माण समिति, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. स्वच्छता एवं पार्किंग व्यवस्था समिति, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04. समस्त न्यायाधीशगण, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग जबलपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।

06. समस्त कर्मचारीगण, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।

4/11/23

वास्ते–प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)